न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–3/2020 निर्णय दिनांक :– 15.09.2022

उनवानी अपील :

1. रमेश पुत्र रतिराम जाति मीणा निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. छोटी देवी पत्नी स्व0 रतिराम जाति मीणा निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

बनाम

1. ग्राम पंचायत पनवाड जरिए सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अपीलांट

सरपंच
ग्राम पंचायत पनवाड़ संख्या 1

<u>अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़</u>
<u>दिनांक 05.10.2016 नामांतकरण संख्या 267</u>

अपीलांट के पिता व पति रतिराम पुत्र चतरा एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 89 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.63 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 306/560 रकबा 0.36 है0, खसरा नबर 354 रकबा 0.67 है0 कुल किता–5 कुल रकबा 3.36 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है जिसमें अपीलांटस के पिता का 1/7 हिस्सा है। इसी प्रकार अपीलांटस के पिता व पति रतिराम पुत्र चतरा एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 90 खसरा नम्बर 11 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.78 है0 कुल किता 4 कुलरकबा 4.07 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। जिसमें अपीलांट के पिता का 1/28 हिस्सा है इसी प्रकार अपीलांटस के पिता व पति रतिराम पुत्र चतरा एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 91 खसरा नम्बर 47 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड

तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जिसमे अपीलांटस के पिता 1/14 हिस्सा है अपीलांट की पिता रतिराम की मृत्यु होने के बाद उनका फोती का नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.10.2016 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खोला गया जिसमें अपीलांट के पिता व पति का नाम गलत रूप से चतरा अकित कर दिया गया जो पूर्णरूप से गलत है जबकि अपीलांट के पिता का नाम रतिराम है तथा चतरा अपीलांट के दादा व ससूर थे जिससे उत्पीड़ित होकर यह अपील कई कारणो से निम्न रूप से पेश है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पनवाड का आदेश विधि विधान तथा तथ्यो के विपरित है इस कारण से निरस्त किए जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड ने नामान्तकरण भरने से पूर्व मौके पर जाकर मृतक रतिराम पुत्र चतरा मीणा के वारिसान के पिता व पति के नाम बाबत कोई जांच नही की और ना ही आस पास के पडोसियों के बयान लिए गए इस कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त किए जाने योग्य है। मृतक रतिराम की मृत्यु के बाद गाम पंचायत पनवाड ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटस सेउनके पिता व पति के बारे में ना तो पुछताछ की तथा अपीलांटस के पिता व पति का नाम रतिराम के बजाय चतरा गलत अंकित कर दिया जबकि अपीलांटस के पिता व पति का नाम रतिराम है तथा चतरा अपीलांटस के दादा व ससूर का नाम है इस बात पर ध्यान नही देकर कानूनी भूल की है। दिनांक 24.12.2021 को जब अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड से उक्त आराजीयात की नामान्तरकण की नकल प्राप्त की तब ज़ानकारी हुई की उनके पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो गया है जिसे विलोपित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान के खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही है। इसलिए अपील में उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांटस द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई हो तो उसके क्षमा किए जाने के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05.10.2016 को निरस्त फरमाया जावे तथा रतिराम के हिस्से की भूमि का पुनः नामान्तकरण भरे जाने का आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र पर सील व हस्ताक्षर कर लिखा कि मुझे कोई आपति नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की अपील के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होने के कारण इनके जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ को इस बाबत कोई आपति नहीं होने से अपील स्वीकार की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण रजिस्टर ग्रम बासलक्ष्मणा के नामान्तकरण संख्या 267 के कॉलम संख्या 7 में रतिराम पुत्र चतरा जाति मीणा का अंकन है और रतिराम के फोत होने के बाद कॉलम संख्या 9 में नामांतकरण खोलते समय रतिराम के वारिसान रमेश पुत्र चतरा छोटी देवी पत्नी स्व. चतरा जाति मीना का अंकन किया है। कॉलम संख्या 7 की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि रतिराम के पिता का नाम चतरा था और रतिराम के फोत होने के बाद रतिराम के वारिसो के नाम नामान्तकरण में पिता के रूप में रतिराम के नाम का अंकन करना चाहिए था परन्तु प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा बिना विचार किये रतिराम के पिता का नाम रतिराम के वारिसों के नाम के आगे पिता के रूप मेंदर्ज कर दिया। जिसके कारण स्व. रतिराम की अपील वर्णित आराजी में अपीलांट के पिता का नाम रतिराम का ही अंकन चला आ रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 05. 10.2016 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रतिराम के विधिक वारिसान की जाच, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली